<u>न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश दौसा(राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी :— **गीता चौधरी ,आर.जे.एस.**

दीवानी वाद संख्या 02/2018

सी.आई.एस. संख्याः— 18/2018

सिंडिकेट बैंक, प्रधान एवं पंजीकृत कार्यालय डोर नम्बर 16/355 एवं 16/365 ए, मनीपाल जिला उडूपी (कर्नाटक) पिन 576104 शाखा कार्यालय दौसा, स्थित आगरा रोड, दौसा जिला—दौसा (राज.) .....वादी

बनाम

श्रीमती ज्योति माला जैन पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जैन जाति—जैन निवासी प्रकाश किरण लॉन के पीछे, दुर्गा मंदिर के पास, नई मण्डी रोड, दौसा तहसील एवं जिला—दौसा (राज.)

.....प्रतिवादी

<u>वादः—वसूली 253433.63 रूपये एवं ब्याज व खर्चा</u>

उपस्थिति :—

01 श्री राजेन्द्र कुमार जैन अधिवक्ता, वादी की ओर से।

02 श्रीमति सीमा भारद्वाज अधिवक्ता प्रतिवादिनी की ओर से।

::निर्णयः: दिनांक :—23.09.2019

01— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद—पत्र बाबत् वसूली253433.63 रूपये एवं ब्याज व खर्चा का न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादिनी ने जिला उद्योग केन्द्र, दौसा में ''मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2013'' के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने के लिए ''टिफिन सेन्टर'' के व्यवसाय हेतु बैंक से तीन लाख साठ हजार रूपये का ऋण दिलवाने हेतु प्रार्थना—पत्र मय प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जो जिला उद्योग केन्द्र की टास्क फोर्स कमेटी ने बैंक को भिजवा दिया। प्रतिवादिनी ने कम्पोजिट लोन हेतु प्रार्थना—पत्र दिनॉक 01.02.2014 को प्रस्तुत किया। बैंक द्वारा दिनॉक 05.02. 2014 को तीन लाख साठ हजार रूपये का ऋण स्वीकृत कर दिया। उक्त ऋण की सिक्योरिटी हेतु प्रतिवादिनी ने वादी बैंक के हक में दिनॉक 05.02.14 को एक सम्मिश्र दृष्टिबंधक करार तहरीर व तकमील कराकर एग्रीमेंट में दर्ज शर्तों को अस्वीकार कर अपने हस्ताक्षर कर दिये तथा वाद—पत्र में अंकितानुसार ब्याज देना तय हुआ। प्रतिवादिनी की प्रार्थना पर कम्पोजिट ऋण का भुगतान दिनॉक 31.05.14 से 8392/— रूपये प्रतिमाह की किस्तों में 5 वर्षों में पुनर्भुगतान करना तय किया तथा बीमा अपने खर्चे पर करना तय किया। प्रतिवादिनी ने दौसा में मैसर्स ज्योति टिफिन सेन्टर के नाम व स्टाइल में टिफिन सेन्टर का व्यवसाय खोला। उसके कहने पर दिनॉक 05.02.14 को दो लाख रूपये व दिनॉक 13.02.14 को एक लाख साठ हजार रूपये कुल तीन लाख साठ हजार रूपये का ऋण प्रदान किया जाकर प्रतिवादिनी के खाते में नाम लिखा गया। प्रतिवादिनी ने इकरारनुसार ऋण राशि की

किश्ते, ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया। प्रतिवादिनी ने अपनी तरफ बकाया ऋण, ब्याज व अन्य खर्चे पेटे विभिन्न बार में दो लाख पच्चीस हजार दो सौ सैतीस रूपये तिरानवे पैसे जमा कराये है। प्रतिवादिनी ने दिनॉक 26.02.16 को 6000/— रूपये दिनॉक 18.06.16 को 1400/— रूपये जमा कराकर अपने दस्तखत किये हैं। प्रतिवादिनी ने अपने जिम्मे बकाया राशि को सही होना स्वीकार कर दिनॉक 12.04.2017 को लेटर ऑफ एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट तहरीर व तकमील कराकर अपने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त दावा राशि जमा नहीं कराने डिफाल्ट करने पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पेश किया है। वादी बैंक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिवादिनी ने अपना व्यवसाय भी बंद कर दिया व ऋण का दुरूपयोग कर किसी अन्य कार्य में ले लिया। प्रतिवादिनी ने ऋण पेटे अभी तक 225237.93 पैसे जमा कराये हैं। अन्त में वादी द्वारा यह निवेदन किया गया कि वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादिनी 253433.63 रूपये का डिक्री किया जावे तथा ब्याज भी दिलवाया जावे तथा मुकदमा खर्चा वादी को प्रतिवादिनी से दिलवाया जावे।

02— प्रतिवादिनी की ओर से उक्त वाद—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया है तथा न ही जवाब पेश करने के लिए किसी प्रकार की कोई अनुमति चाही गई है।

03— बहस पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

04— दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता वादी अपने वाद—पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उसका वाद—पत्र प्रमाणित है।अतः वाद—पत्र डिक्री किया जावे। इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वादी का वाद मय हर्जा खारिज किया जाने का निवेदन किया।

05— अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि वाद—पत्र में अंकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी बैंक प्रतिवादिनी से 253433.63 रूपये मूल व इस पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है?

06— वादी ने अपने वाद—पत्र के पैरा संख्या दो व तीन में यह अभिवचित किया है कि प्रतिवादिनी ने वादी बैंक की दौसा शाखा को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार टिफिन सेन्टर की दुकान का व्यवसाय खोलने के लिए 360000/— रूपये का ऋण स्वीकृत कराया था। इस सम्बन्ध में वादी की ओर से दस्तावेजात असल ऋण आवेदन मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, असल बायोडाटा पत्र मैसर्स ज्योति टिफिन सेन्टर व प्रमोटर, असल प्रोजेक्टर रिपोर्ट मैसर्स ज्योति टिफिन सेन्टर, असल पत्र जिला उद्योग केन्द्र दौसा दिनॉक 17.01.2014, असल ऋण आवेदन—पत्र बैंक दिनॉक 01.02.2014, असल सम्मिश्र दृष्टिबंधक करार दिनॉक 05.02.2.14 असल रसीद ऋण राशि दो लाख रूपये दिनॉक 05.02.14, असल ऋण राशि एक लाख साठ हजार रूपये दिनॉक 13.02.14, नोटिस प्रतिवादी दिनॉक 26.04.16, 29.

04.16, 25.05.2017 मय असल एडी, लीगल नोटिस प्रतिवादी दिनॉक 23.09.16, असल रसीद पोस्टऑफिस दिनॉक 23.09.16, क्रेडिट पर्ची 6000/— रूपये दिनॉक 26.02.16, क्रेडिट पर्ची 14000/— रूपये दिनॉक 18.06.2017, नकल ऋणदाता मय सर्टीफिकेट धारा 2ए (ए) बैकर्स बुक्स एवीडेन्ट एक्ट असल दावा प्रस्तुत करने की स्वीकृति का पत्र दिनॉक 01.03.18 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से वादी द्वारा प्रतिवादिनी को ऋण दिया जाना तथा बकाया ऋण राशि होना प्रमाणित होता हैं इस सम्बन्ध में नोटिस भी प्रतिवादी के सही पते पर दिया जाना प्रमाणित होता है। उक्त दस्तावेजात के खण्डन में प्रतिवादिनी की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

07— न्यायालय के मत में वादी ने प्रिपोन्डरेन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी (**Preponderance Of probability**) के अनुसार वाद—पत्र में अभिलिखित अभिवचनों को प्रमाणित किया है।

08— अतः वादी बकाया रकम 253433.63/— रूपये पर 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद प्रस्तुति से नियमानुसार (06 प्रतिशत वार्षिक दर) प्रतिवादी से ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित होगा। अतः इसी प्रकार वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

09— परिणामतः वादी सिंडिकेट बैंक का वाद प्रतिवादिनी श्रीमती ज्योति माला के विरूद्ध सव्यय डिक्री किया जाता है। वादी, प्रतिवादी से बकाया लोन के पेटे कुल राशि 253433.63/—रूपये तथा दावा दायरी की दिनांक 25.04.2018 से तावसूली 06 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज पाने का अधिकारी है। पर्चा डिक्री उक्तानुसार मुर्तिब हो।

(गीता चौधरी)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
दौसा (राजस्थान)

10— यह निर्णय आज दिनॉक **23.09.2019** को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गीता चौधरी)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
दौसा (राजस्थान)